BA(Hons.) PART –I , Paper- II

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

षाड्गुण्य सिद्वान्त या नीति (Six-Fold Policy)

षाड्गुण्य नीति या सिद्वान्त – कौटिल्य ने अन्य राज्यों के साथ व्यवहार को निश्चित करने के लिए जिस सिद्वान्त का प्रतिपादन किया, उसे षाड्गुण्य सिद्वान्त कहा जाता है। कौटिल्य ने षाड्गुण्य नीति के प्रयोग पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि, "शत्रु की तुलना में अपने को निर्बल समझने पर संधि कर लेना चाहिए। यदि शत्रु की तुलना में स्वंय को बलवान समझा जाय, तो विग्रह कर देना चाहिए।" इस सिद्वान्त के अनुसार, एक राज्य द्वारा अपनी विदेश नीति का निर्माण और संचालन 6 प्रमुख आधारों के अनुसार करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार, विदेश नीति के 6 प्रमुख आधार निम्न प्रकार है :–

1. **सन्धि** – सन्धि का आशय दो राजाओं के बीच हुए समझौता से है। ये समझौता एक राजा को लाभ करा सकता है, हानि करा सकता है या दोनों को बराबर का लाभ अथवा हानि करा सकता है। कौटिल्य अपने राजा को संधि के लिए तब सुझााव देता है, जब दूसरे राजा के कार्य को रोक सके या उसके कार्यो से अपना लाभ प्राप्त कर सके या विश्वास में लेकर उसे समाप्त कर सके। कौटिल्य के अनुसार, किसी भी राजा द्वारा सन्धि करने का एक मात्र उद्वेश्य शत्रु राजा की शक्ति को नष्ट करना होता है तथा स्वंय को शक्तिशाली सम्पन्न बनाना होता है।
2. **विग्रह** – विग्रह का अर्थ युद्व है लेकिन वास्तविक युद्व नहीं। शत्रु को निर्बल अथवा कमजोर होने की स्थिति में इस नीति को अपनाना चाहिए। विग्रह से पूर्व अपनी समस्त व्यवस्थाओं एवं अपनी शक्तियों के बारे में पूर्णतया आशवस्त हो लेना आवश्यक है। कौटिल्य का मानना है कि विग्रह नीति का प्रयोग करने के पूर्व राजा को अपने मण्डल मित्र राजाओं से आवश्यक परामर्श कर सहायता का आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिए।

कौटिल्य के अनुसार, युद्व के लिए सेना, युद्व के लिए शक्तियॉ और युद्व के प्रकार को जानकर ही विग्रह किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने सेना के चार अंग बताऍ हैं, ये पैदल, हाथी, घोडें एवं रथ हैं। कौटिल्य ने युद्व की तीन शक्तियों का भी उल्लेख किया है। जिनमें उत्साह शक्ति अर्थात् सफल युद्व के लिए आवश्यक नैतिक बल, प्रभाव शक्ति अर्थात् शस्त्र साम्रगी, मन्त्र शक्ति अर्थात् मन्त्रणा और कूट नीति शक्ति से हैं।

3. **यान** – यान का अर्थ वास्तविक आक्रमण या युद्व अभियान से है। कौटिल्य के शब्दों में, "यदि समझें कि शत्रु के कर्मो का नाश यान से हो सकेगा और मैंने अपने कर्मो की रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया है, तो यान का आश्रय लेकर अपनी उन्नति करें।" कौटिल्य के अनुसार, जब शत्रु व्यसनों में फॅसा हुआ हो, उसका प्रकृतिप्रमुख मण्डल भी व्यसनों में उलझा हुआ हो, तब यान का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस नीति को तभी अपनाना चाहिए जब राजा की स्थिति सुदृढ़ हो तथा ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण का मार्ग अपनाए बगैर शत्रु को अपने वश में करना संभव नहीं हो। यान एक राज्य के विदेश नीति के निर्धारण और संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4. **आसन** – अन्य राजाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखकर जब राजा शान्त या चुपचाप बैठकर अपनी शक्ति में वृद्वि करता है तो, कौटिल्य के अनुसार उसे आसन कहा जाता है। आसन का आश्य तटस्थता से है। जब विजिगीषु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा को आसन(तटस्थता) की नीति अपनानी चाहिए। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन की निरंन्तर चेष्टा की जानी चाहिए। कौटिल्य ने आसन के दो प्रकारों का जिक्र किया है। प्रथम, सन्धाय आसन दूसरा, विग्रहा आसन। **सन्धाय आसन**, जब संधि करके चुप बैठते हैं दूसरा **विग्रहा आसन,** जब विजिगीषु और शत्रु समान शक्ति रखते हो, सन्धि की इच्छा रखते हों, कुछ समय के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार, आसन, स्थान और उपेक्षण ये तीनों शब्द एक–दूसरे के पर्यायवाची है। स्थिर रहते हुए किसी विषय में उपाय करते रहना स्थान कहलाता है। अपनी वृद्वि के लिए चुप रहना आसन कहलाता है और किसी उपाय का आलम्बन न करना उपेक्षण कहलाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर आसन तटस्थता की नीति का ही दूसरा रूप है।

5. **संश्रय(बलवान का आश्रय लेना)** – संश्रय का अर्थ – बलवान राजा की शरण लेना है। शरण में राजा के पास जाना चाहिए जो शत्रु से बलवान हो। कौटिल्य का मानना है कि यदि कोई राजा शत्रु को हानि पहुॅचाने की क्षमता नहीं रखता है और न ही अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपने से बलवान राजा की शरण में जाना चाहिए। कौटिल्य का यह भी मानना है कि "अगर बलवान राजा न मिले तो अपने शत्रु राजा का ही आश्रय लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए।"
6. **द्वैधीभाव(संधि और युद्व का एक साथ प्रयोग)** – कौटिल्य के अनुसार, एक राजा से सन्धि और दूसरे राजा से विग्रह या युद्व नीति का अनुसरण करने की स्थिति को द्वैधी भाव कहा जाता है। कौटिल्य की मान्यता है कि यदि इस बात का अनुभव करे कि एक से संधि और दूसरे से विग्रह करने पर अपने राज्य की शक्ति में वृद्वि की जा सकती है तो उसे निशंक होकर द्वैधी भाव की नीति का अनुसरण करना चाहिए।

उपर्युक्त 6 गुणों पर आधारित विदेश नीति को प्रतिपादित करते हुए कौटिल्य का कहना है कि अवसर और आवश्यकतानुसार एक राजा को इन नीतियों का प्रयोग करना चाहिए साथ ही प्रयोग के पूर्व इसके लाभ एवं हानि का भी आकलन भी कर लेना चाहिए।